

फॉर्म एल-2-ए-पीएल

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001

31.03.2025 समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

(राशि रुपये करोड़ में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या	मार्च 2025 तिमाही के लिए	31 मार्च 2025 तक	मार्च 2024 तिमाही के लिए	31 मार्च 2024 तक
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाते) से अंतरित राशि		19,304.54	49,506.72	14,492.78	40,021.96
निवेश से आय:					
(a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		1,606.57	5,649.96	1,093.09	3,564.77
(b) निवेश की विक्रय/मोचन पर लाभ		164.30	380.33	36.87	147.82
(c) (निवेश की विक्रय/मोचन पर नुकसान)		(0.07)	(9.07)	(2.24)	(5.83)
(d) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट		(9.67)	(29.51)	(3.67)	(12.13)
अन्य आय		-	-	-	-
कुल (A)		21,065.67	55,498.43	15,616.83	43,716.59
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय		23.48	642.21	245.98	246.28
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान:		-	-	-	-
(a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय		1,058.94	4,443.10	-	-
(b) अन्य		14.15	24.69	12.98	12.98
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-	-	-
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च		-	-	-	-
दंड		0.03	0.03	-	-
बढ़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण		-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि		969.51	2,255.42	1,729.85	2,598.45
प्रावधान (कराधान के अलावा):		-	-	-	-
(a) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)		(0.12)	(4.93)	(1.40)	1.57
(b) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-	-	-
(c) अन्य		(13.11)	(13.26)	(8.80)	70.10
कुल (B)		2,052.88	7,347.26	1,978.61	2,929.38
कर पूर्व लाभ/(हानि)		19,012.79	48,151.17	13,638.22	40,787.21
कराधान के लिए प्रावधान		-	-	(124.42)	111.42
कर पश्चात लाभ/(हानि)		19,012.79	48,151.17	13,762.64	40,675.79
विनियोग					
(a) वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		-	75,711.26	-	39,462.97
(b) अंतरिम लाभांश का भुगतान		-	-	2,530.00	2,530.00
(c) भुगतान किया गया अंतिम लाभांश		-	3,795.00	-	1,897.50
(d) रिजर्व / अन्य खातों में स्थानांतरण		-	-	-	-
लाभ/हानि को तुलन पत्र में अग्रणीत किया गया		19,012.79	1,20,067.43	11,232.64	75,711.26

गत वर्ष के आकड़ों को वर्तमान वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समुहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लिखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।